भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 435 का उत्तर

दिल्ली-सीतापुर रेलगाड़ी को पुन: शुरू किया जाना

435. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ी संख्या 54075/54076, जो दिल्ली से सीतापुर तक चलती थी और वर्तमान में दिल्ली से बरेली तक चल रही है, को पुनः दिल्ली से सीतापुर तक चलाए जाने का है;

(ख) क्या सरकार ने मेमू रेलगाड़ी संख्या 64221/64222 शाहजहाँपुर-लखनऊ के संचालन को बहाल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं या कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) अनुरक्षण गलियारा ब्लॉक के सृजन द्वारा बेहतर यात्री संरक्षा प्रदान करने, मौजूदा समय सारणी में विसंगति को न्यूनतम करने और गाड़ी सेवाओं की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई की सहायता से वैज्ञानिक तरीके से गाड़ी सेवाओं के युक्तिकरण सहित समय सारणी का युक्तिकरण किया है। तदनुसार, 54075/76

दिल्ली-सीतापुर पैसेंजर गाड़ी अब दिल्ली और बरेली के बीच परिचालित की जा रही है। बहरहाल, वर्तमान में, दिल्ली-सीतापुर रेलखंड को 11 जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित किया जा रहा है।

64221/64222 शाहजहांपुर-लखनऊ मेमू के स्थान पर, बालामऊ के रास्ते 04319/04320 शाहजहांपुर-लखनऊ मेमू (सप्ताह में 5 दिन) और 04355/56 बालामऊ-लखनऊ मेमू (सप्ताह में 2 दिन) परिचालित की जा रही हैं। बहरहाल, वर्तमान में, शाहजहांपुर-लखनऊ को 45 जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय रेल पर यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन गाड़ी सेवाओं की शुरुआत करना एक सतत् प्रक्रिया है।

देश भर में गाड़ियों की शुरुआत/बहाली/विस्तार के लिए संसद सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों की प्राप्ति एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी समय-समय पर जाँच की जाती है तथा व्यवहार्य और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इन पर कार्रवाई की जाती है।

*****